# — : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 परमेश्वर के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा कठौती में खेत खसरा नम्बर 1282 रकबा 1.6349 हैक्टेयर पूरा खेत एवं खेत खसरा नम्बर 1348 रकबा 1.7159 हैक्टेयर पूरा एवं खसरा नम्बर 1371/2081 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 939 रकबा 0.5666 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1373 रकबा 9.9957 हैक्टेयर में से रकबा 1.0408 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 2 हरेन्द्र बेड़ा के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा कठौती में खेत खसरा नम्बर 1285 रकबा 2.3553 हैक्टेयर में से रकबा 1.0604 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार एवं खेत खसरा नम्बर 795 रकबा 1.7159 हैक्टेयर पूरा व खसरा नम्बर 1373 रकबा 9.9957 हैक्टेयर में से रकबा 2.3437 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखाजाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 3 महेन्द्र कुमार के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा कठौती में खेत खसरा नम्बर 1285 रकबा 2.3553 हैक्टेयर में से रकबा 1.2949 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार एवं खेत खसरा नम्बर 1372 रकबा 0.4856 हैक्टेयर पूरा एवं खसरा नम्बर 1373 रकबा 9.9957 हैक्टेयर में से रकबा 3.3395 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 4 राजाराम के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा कठौती में खेत खसरा नम्बर 1071 रकबा 2.2258 हैक्टेयर पूरा खेत एवं खसरा नम्बर 1373 रकबा 9.9957 हैक्टेयर में से रकबा 2.8943 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
5. प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 क्रमशः भंवरी, सहदेव बेड़ा, मुकेश बेड़ा के सह हक बंट सह कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा कठौती में खेत खसरा नम्बर 1347 रकबा 1.6187 हैक्टेयर पूरा खेत एवं खेत खसरा नम्बर 1374 रकबा 1.8696 हैक्टेयर पूरा एवं खसरा नम्बर 735 रकबा 0.2478 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 737 रकबा 1.0117 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1373 रकबा 9.9957 हैक्टेयर में से रकबा 0.3773 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
6. प्रतिवादी संख्या 8 से 10 क्रमशः भंवरी, कमला एवं सम्पत के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें। नजरीनक्सा निर्णय एंव डिक्री का भाग रहेगा।
7. शेंष खाता बदस्तूर। यथावत घोषित किया जाता है।
8. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा।
9. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्श डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

निर्णय आज दिनांक 31/01/25 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल



Scanned with CamScanner